प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

उप निबन्धक(न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

पत्रांकः 2942/तीस उपखनिज/2019 दिनांक० 9 सितम्बर, 2019

विषयः **श्री आदित्य तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 Original, Application No. 57/2019 के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके ई–मेल दिनांक 07.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र संख्याः57/2019 आदित्य तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 के अनुपालन में माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यालय पत्र संख्याः2736/तीस उपखनिज/2019 दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अनुपालन आख्या ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्या की छायाप्रति संलग्न है। पुनः कार्यालय के पत्रांक. 2833/तीस उपखनिज/2019 दिनांक 23 जुलाई 2019 द्वारा ई–मेल द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के ई–मेल दिनांक 07.09.2019 के अनुपालन में पुनः पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या ई–मेल द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न पत्र प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी,
अयोध्या। 9/9/19

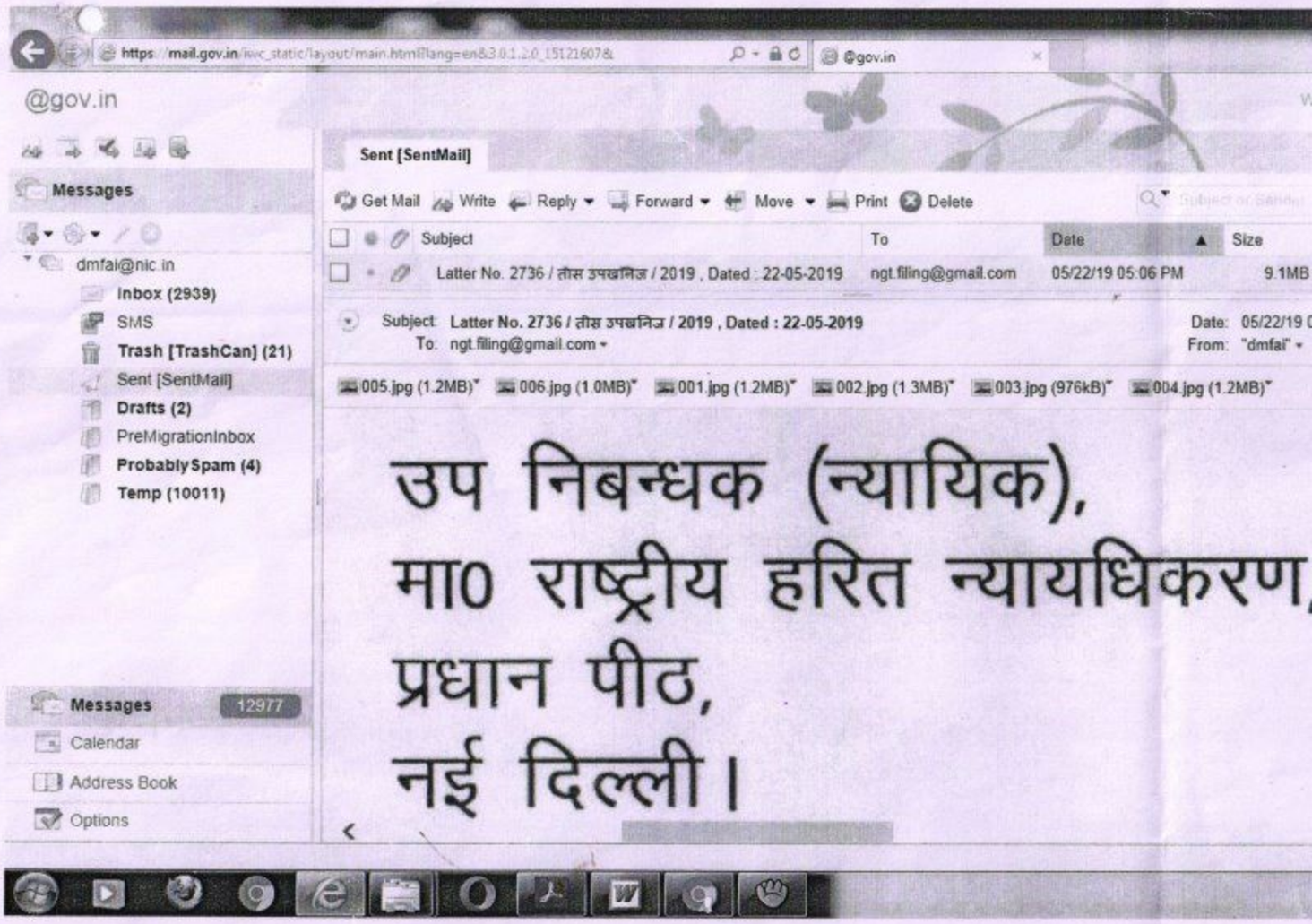
https://mail.gov.in/iwc_static/layout/main.html?lang=en&3.0.1.2.0_151216078
@gov.in
@gov.in
Sent [SentMail]
Messages
Get Mail
Write
Reply
Forward
Move
Print
Delete
dmfai@nic.in
Inbox (2939)
SMS
Trash [TrashCan] (21)
Sent [SentMail]
Drafts (2)
PreMigrationInbox
Probably Spam (4)
Temp (10011)
Subject
To
Date
Size
Latter No. 2736 / तीस उपखनिज / 2019 , Dated : 22-05-2019
ngt.filing@gmail.com
05/22/19 05:06 PM
9.1MB
Subject: Latter No. 2736 / तीस उपखनिज / 2019 , Dated : 22-05-2019
To: ngt.filing@gmail.com
Date: 05/22/19
From: "dmfai"
005.jpg (1.2MB)
006.jpg (1.0MB)
001.jpg (1.2MB)
002.jpg (1.3MB)
003.jpg (976kB)
004.jpg (1.2MB)
उप निबन्धक (न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण,
प्रधान पीठ,
नई दिल्ली।
Messages
12977
Calendar
Address Book
Options

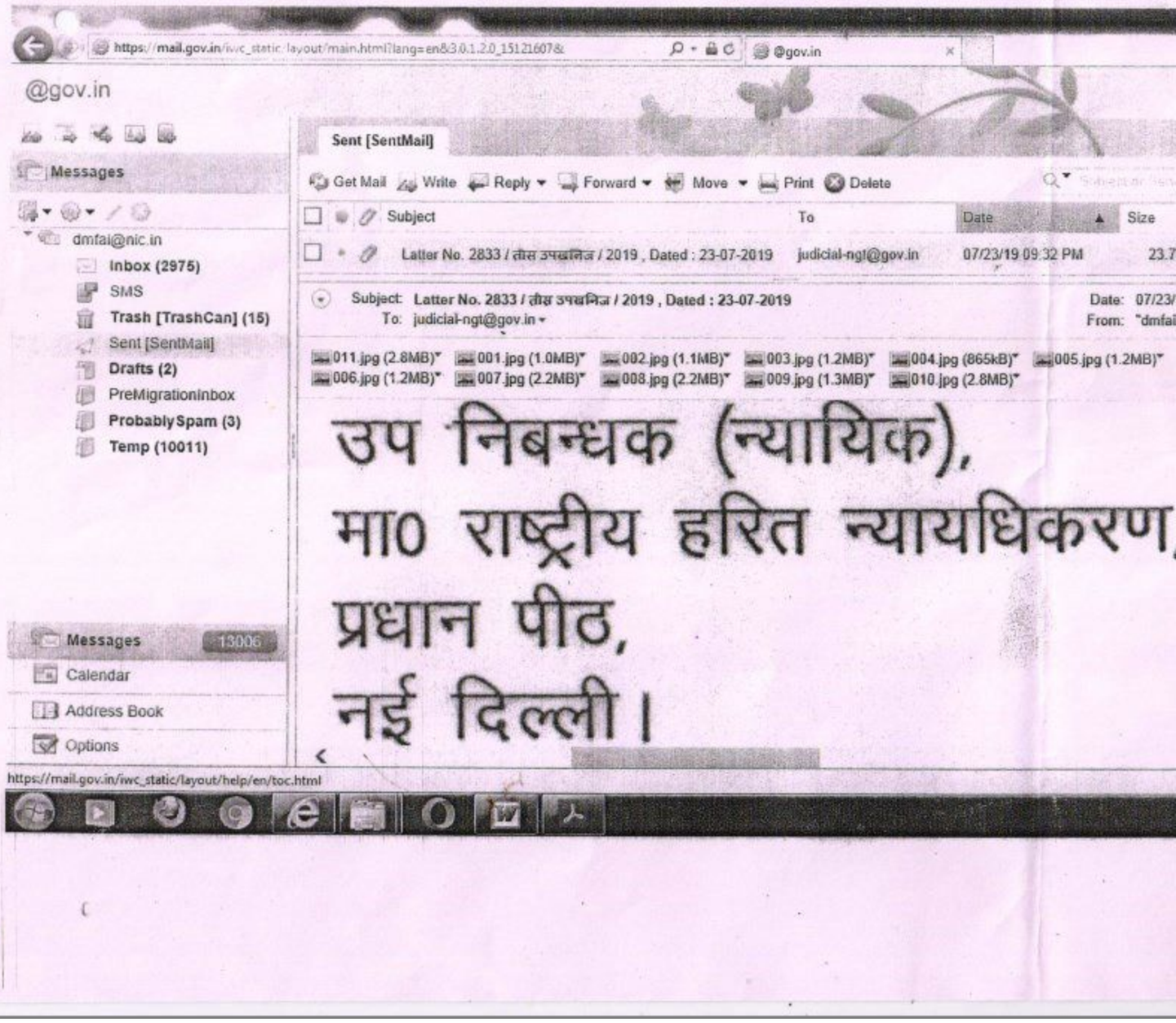
https://mail.gov.in/iwc_static/layout/main.html?lang=en&3.0.1.2.0_15121607&
@gov.in
@gov.in
Messages
dmfai@nic.in
Inbox (2975)
SMS
Trash [TrashCan] (15)
Sent [SentMail]
Drafts (2)
PreMigrationInbox
Probably Spam (3)
Temp (10011)
Messages 13006
Calendar
Address Book
Options
Sent [SentMail]
Get Mail
Write
Reply
Forward
Move
Print
Delete
Subject
To
Date
Size
Latter No. 2833 / तीस उपबन्धक / 2019 , Dated : 23-07-2019
judicial-ngt@gov.in
07/23/19 09:32 PM
Subject: Latter No. 2833 / तीस उपबन्धक / 2019 , Dated : 23-07-2019
To: judicial-ngt@gov.in
Date: 07/23/
From: "dmfai
011.jpg (2.8MB)
001.jpg (1.0MB)
002.jpg (1.1MB)
003.jpg (1.2MB)
004.jpg (865kB)
005.jpg (1.2MB)
006.jpg (1.2MB)
007.jpg (2.2MB)
008.jpg (2.2MB)
009.jpg (1.3MB)
010.jpg (2.8MB)
उप निबन्धक (न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण,
प्रधान पीठ,
नई दिल्ली।
https://mail.gov.in/iwc_static/layout/help/en/toc.html

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

उप निबन्धक(न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण,
प्रधान पीठ,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 2833 /तीस उपखनिज/2019 दिनांकः 23 जुलाई, 2019

विषयः श्री आदित्य तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 Application No. 57/2019 के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके ई–मेल दिनांक 22.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र संख्याः57/2019 आदित्य तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार में अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यालय पत्र संख्याः2736/तीस उपखनिज/2019 दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा),
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या ।

सेवा में,

उप निबन्धक (न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण,
प्रधान पीठ,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 2736/तीस उपखनिज/ 2019 दिनांकः 22. मई, 2019

विषयः **श्री आदित्य तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 Application No. 57/2019 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली न्यायालय संख्याः1 में विचाराधीन प्रार्थनापत्र कमांकः 57/2019 आदित्य तिवारी बनाम उ0प्र0सरकार का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांकः 18.01.2019 को आदेश पारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या को प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या माननीय न्यायालय को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। पुनः न्यायिक सलाहकार द्वारा अपने स्मृति पत्र (ई-मेल) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण दिनांकः 23.05.2019 को सुनवाई के लिए नियत है, अतः तत्काल अनुपालन आख्या प्रेषित की जाए।

उक्त संदर्भ मा0 न्यायालय के समक्ष श्री आदित्य तिवारी निवासी निरालानगर खोजनपुर, जनपद अयोध्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर कायम हुआ जिसमें अयोध्या के किनारे सरयू नदी में होने वाले बालू के अवैध/वैध खनन के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने एवं खनन से सरयू नदी अयोध्या के घाटों को छोड़कर जनपद गोण्डा की ओर प्रवाहित होने एवं अवैध खनन से गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरयू पुल के समीप नदी दो धाराओं में हो जाने व तटीय गाँवों के हजारों किसानों की बाढ़ के समय फसल का नुकसान होने की शिकायत की गयी है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अयोध्या के निकट मांझा बरहटा गांव में स्थित बैकुण्ठ धाम की एक दीवार अवैध खनन के कारण गिर गई। शिकायतकर्ता द्वारा अयोध्या के पौराणिक महत्व को देखते हुए उक्त कारणों से ग्राम मीरापुर द्वाबा, मांझा बरेहटा एवं सीतारामपुर मांझा में अवैध/वैध खनन पर रोक लगाये जाने की मांग की गयी है।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकः 27.04.2019 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष पुनः एक शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम मीरापुर द्वाबा में कृषि भूमि से मिट्टी हटाने के लिए किये गये तीन पट्टों का उल्लेख करते हुए उन पट्टों से भी पर्यावरणीय क्षति होने एवं पट्टाधारकों द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण तीनों पट्टों को निरस्त किये जाने की मांग की गई है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण की जांच के लिए उप जिलाधिकारी, सदर-अयोध्या, खान अधिकारी, क्षेत्राधिकारी अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड अयोध्या की एक समिति गठित की गई। उक्त समिति द्वारा दिनांकः 21.05.2019 को स्थल निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है

कि सरयू नदी में अयोध्या के आस–पास जनपद अयोध्या के ग्राम मीरापुर द्वावा, माझा बरेहटा एवं जनपद वस्ती के ग्राम सीतारामपुर माझा में व्यक्तिगत भूमि/नदी तल में स्थित बालू को निकालने के लिये पट्टे हुये हैं। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

(1) ग्राम माझा बरेहटा नदी तल में 25 हे0 भूमि का पट्टा दिनांक 13.11.2017 को स्वीकृत हेतु सहमति पत्र जारी किया गया। परन्तु प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वछता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जानें के कारण उक्त सहमतिपत्र दिनांक 23.04.2019 को निरस्त कर दिया गया।

(2) जनपद वस्ती के ग्राम सीतारामपुर माझा में जिलाधिकारी वस्ती द्वारा बालू खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया है। ग्राम माझा बरेहटा के खातेदार द्वारा उनकी व्यक्तिगत् भूमि पर खनन किये जानें की शिकायत की जांच जनपद वस्ती एवं जनपद अयोध्या की संयुक्त टीम द्वारा की गयी, जिसमें अवैध खनन की पुष्टि नहीं हुई वल्कि उक्त दोनों ग्रामों के बीच सीमा विवाद सम्बन्धी वाद सहायक अभिलेख अधिकारी अयोध्या के समक्ष विचाराधीन है।

(3) ग्राम मीरापुर द्वावा के गाटा संख्या 273, क्षेत्रफल 6.25 हे0 से निजी भूमि से बालू हटाने का खनन अनुज्ञा पत्र 3 माह के लिये दिनांक 25.01.2019 से दिनांक 24.04.2019 तक स्वीकृत किया गया था। उक्त पट्टे की आड़ में पट्टे से अलग भूमि से खनन किये जानें की शिकायत की जांच में शिकायत सही पाये जाने पर पट्टा दिनांक 13.03.2019 को निरस्त किया जा चुका है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली अयोध्या में दर्ज करायी गयी। प्रकरण रिट याचिका संख्या 9962/2019 राघवेश दास वेदान्ती वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अर्न्तगत माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ वेंच, लखनऊ में विचाराधीन है।

(4) ग्राम मीरापुर द्वावा में श्री रंजीत कुमार पुत्र अवध कुमार को 1.109 हे.0 निजी भूमि से बालू हटानें का अनुज्ञा पत्र दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 14.06.2019 के लिये, श्री श्रीचन्द्र यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव को 1.875 हे0 में निजी भूमि से बालू हटानें का अनुज्ञा पत्र दिनांक 1.05.2019 से दिनांक 30.06.2019 तक कि अवधि के लिये एवं श्री राघवेश दास वेदान्ती को 1.265 हे0 निजी भूमि से बालू हटाने का अनुज्ञा पत्र 16.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। उक्त पट्टेदारों द्वारा अपनें निजी खेत से बालू हटानें का कार्य किया जा रहा है। जांच में कोई अवैध खनन अथवा मशीन का प्रयोग नहीं पाया गया। उक्त तीनों अनुज्ञा पत्र बहुत ही छोटे क्षेत्रफल के हैं, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट 9 को कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्रदान करनें से सम्बन्धित प्राविधान से आच्छादित है। इतने अल्प क्षेत्रफल में बालू निकालने से किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय असंतुलन एवं नदी के प्रवाह की दिशा के परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या से भी आख्या प्राप्त की गई। भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांकः 21.05.2019 को आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम मीरापुर द्वावा में तीनों क्षेत्रों में बालू का खनन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा नियमानुसार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार (SSMDR) कराया जा रहा है। बालू के खनन से किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है और न मौके पर पायी ही गयी है एवं न ही किसी की शिकायत संज्ञान में आयी है। उक्त वर्णित तीनों बालू के खनन क्षेत्र जनपद की सरयू नदी के चैनल में जमा चैनल–बार (नदी की धारा के अन्दर प्राकृतिक रूप से एकत्रित बालू का उठा हुआ जमाव क्षेत्र) में ही दिये गये हैं, जिससे कि नदी में प्राकृतिक रूप से एकत्रित बालू को हटाये जानें से नदी तट की जलधारा के बहाव में

परिवर्तन कर नदी के तट को खनन से प्रभावित होनें से बचाया जा सके। इन क्षेत्रों मे खनन प्रारम्भ होने से नदी की जलधारा में प्राकृतिक रूप एकत्रित चैनल–बार की बालू को नियमानुसार खनन के माध्यम से हटाया जा रहा है जिससे कि नदी के किनारों के कटान को नदी की जलधारा के बहाव से बचाया जा सके और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सके।

उक्त समिति द्वारा अपनी आख्या में यह भी लिखा गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि विषयगत् क्षेत्र (मीरापुर द्वावा) में हो रहे खनन का क्षेत्र घाघरा नदी की मुख्य धारा एवं अन्य धारा (स्पिल) के मध्य स्थित हैं, (गूगल अर्थ मैप संलग्न)। नदी की मुख्य धारा एवं अन्य धारा के मध्य स्थित SAND BED BAR हटाने से नदी का प्रवाह क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे बाढ़ अवधि में नदी की धारा से होने वाली कटान पर अंकुश लगेगा।

इस प्रकार जाँच में अवैध/वैध खनन एवं स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों से पर्यावरणीय क्षति/नदी के प्रवाह में परिर्वतन सम्बन्धी शिकायत की पुष्टि नहीं हुयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली न्यायालय संख्याः1 के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः

1. समिति की संयुक्त आख्या
   दिनांकः21.05.2019
2. भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी,
   आख्या दिनांकः 21.05.2019

भवदीय,

( अनुज कुमार झा )
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

# जांच आख्या

कृपया जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 2658/खान अधिकारी/एन0जी0टी0/आदेश/2019/दिनांक 11.03.2019 एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अयोध्या के पत्र संख्या 1306/तीस– उपखनिज दिनांक 17.05.2019 के अनुक्रम में मूल बाद संख्या 57/2019 श्री आदित्या तिवारी वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2019 के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं :–

Allegation in this letter, which has been treated as an application, is that illegal sand mining is taking place on the banks of river Saryu which is resulting in diversion of the course of the river. The flow of river is adversely affected. The illegal activity results in flooding, affecting the crops and degradation of the environment.

Let the District Magistrate, Ayodhya look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunel within one month from the date of receipt of copy of this order by E-mail at ngt.filing@gmail.com.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा आदेश संख्या 2658/खान अधिकारी/एन0जी0टी0/आदेश/2019 दिनांक 11.03.2019 द्वारा ग्राम मीरापुर द्वावा व माझा बरेहटा में अवैध खनन के शिकायत की जांच हेतु उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में निम्नवत् टीम का गठन किया गया :–

1. उप जिलाधिकारी सदर।
2. जिला खान अधिकारी ।
3. क्षेत्राधिकारी अयोध्या।
4. अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड अयोध्या ।
5. अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड अयोध्या।

माननीय एन0जी0टी के समक्ष श्री आदित्या तिवारी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि, अयोध्या के किनारे सरयू नदी में होने वाले बालू के अवैध/वैध खनन से परिस्थितिकी संतुलन बिगड रहा है, जिससें सरयू नदी अयोध्या के प्रमुख घाटों को छोड़कर गोंडा की तरफ चली गयी। यह भी शिकायत की गयी है कि, अवैध खनन से गोरखपुर, लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर सरयू पुल के पास सरयू नदी की दो धारायें हो गयीं है जिससे तटीय गांव के हजारों किसानों की फसल का बाढ़ के समय नुकसान हो रहा है। शिकायत में अयोध्या के निकट माझा बरेहटा गांव में स्थित बैकुण्ठ धाम की एम दीवार अवैध खनन के कारण गिर गयी है। अयोध्या के पौराणिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा ग्राम मीरापुर द्वावा एवं माझा बरेहटा में अवैध/वैध खनन पर रोक लगाने के आदेश निर्गत करने की प्रार्थना की गयी है।

शिकायत कर्ता द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के समक्ष दिनांक 27.04.2019 को एक अन्य शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम मीरापुर द्वावा मे कृषि कार्य करनें के लिये 3 पट्टे किये जानें का उल्लेख करते हुये उक्त तीनों पट्टो से भी पर्यावरणीय नुकसान एवं पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होनें के कारण तीनों पट्टों को निरस्त किये जानें कि प्रार्थना की गयी है।

समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 20.05.2019 को स्थल का निरीक्षण किया गया। सरयु नदी में अयोध्या के आस–पास जनपद अयोध्या के ग्राम मीरापुर द्वावा, माझा बरेहटा एवं जनपद वस्ती के ग्राम सीतारामपुर माझा में व्यक्तिगत भूमि/नदी तल में स्थित बालू को निकालने के लिये पट्टे हुये हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. ग्राम माझा बरेहटा नदी तल में 25 हे0 भूमि का दिनांक 13.11.2017 को स्वीकृत हेतु सहमति पत्र जारी किया गया। परन्तु प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वछता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जानें के कारण उक्त सहमतिपत्र दिनांक 23.04.2019 को निरस्त कर दिया गया।
2. जनपद वस्ती के ग्राम सीतारामपुर माझा में जिलाधिकारी वस्ती द्वारा बालू खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया है। ग्राम माझा बरेहटा के खातेदार द्वारा उनकी व्यक्तिगत् भूमि पर खनन

किये जानें की शिकायत की जांच जनपद वस्ती एवं जनपद अयोध्या की संयुक्त टीम द्वारा की गयी, जिसमें अवैध खनन की पुष्टी नहीं हुयी वल्कि उक्त दोनों ग्रामों के बीच सीमा विवाद सम्बन्धी वाद सहायक अभिलेख अधिकारी अयोध्या के समक्ष विचाराधीन है।

3. ग्राम मीरापुर द्वावा के गाटा संख्या 273, क्षेत्रफल 6.25 हे0 से निजी भूमि से बालू हटाने का खनन अनुज्ञा पत्र 3 माह के लिये दिनांक 25.01.2019 से दिनांक 24.04.2019 तक स्वीकृत किया गया था। उक्त पट्टे की आढ़ में पट्टे से अलग भूमि से खनन किये जानें की शिकायत की जांच में शिकायत सही पाये जाने पर पट्टा दिनांक 13.03.2019 को निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण रिट याचिका संख्या 9962/2019 राघवेश दास वेदान्ती वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अर्न्तगत माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ वेंच, लखनऊ में विचाराधीन है।

4. ग्राम मीरापुर द्वावा में श्री रंजीत कुमार पुत्र अवध कुमार को 1.109 हे.0 निजी भूमि से बालू हटानें का अनुज्ञा पत्र दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 14.06.2019 के लिये, श्री श्रीचन्द्र यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव को 1.875 हे0 में निजी भूमि से बालू हटानें का अनुज्ञा पत्र दिनांक 1.05.2019 से दिनांक 30.06.2019 तक कि अवधि के लिये एवं श्री राघवेश दास वेदान्ती को 1.265 हे0 निजी भूमि से बालू हटाने का अनुज्ञा पत्र 16.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। उक्त पट्टेदारों द्वारा अपनें निजी खेत से बालू हटानें का कार्य किया जा रहा है। जांच में कोई अवैध खनन अथवा मशीन का प्रयोग नहीं पाया गया। उक्त तीनों अनुज्ञा पत्र बहुत ही छोटे क्षेत्रफल के हैं। और उक्त अनुज्ञापत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट 9 को कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्रदान करनें से सम्बन्धित प्राविधान से आच्छादित है। इतने अल्प क्षेत्रफल के अनुज्ञापत्र से किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय असंतुलन एवं नदी के प्रवाह की दिशा के परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं है।

भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी अयोध्या द्वारा भी दिनांक 21.05.2019 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर अपनी आख्या दी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम मीरापुर द्वावा में तीनों क्षेत्रों में बालू का खनन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा नियमानुसार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार (SSMDR) कराया जा रहा है। बालू के खनन से किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है और न मौके पर पायी ही गयी है एवं न ही किसी की शिकायत संज्ञान में आयी है। उक्त वर्णित तीनों बालू के खनन क्षेत्र जनपद की सरयू नदी के चैनल में जमा चैनल–बार (नदी की धारा के अन्दर प्राकृतिक रूप से एकत्रित बालू का उठा हुआ जमाव क्षेत्र ) में ही दिये गये हैं, जिससे कि नदी में प्राकृतिक रूप से एकत्रित बालू को हटाये जानें से नदी तट की जलधारा के बहाव में परिवर्तन कर नदी के तट को खनन से प्रभावित होनें से बचाया जा सके। इन क्षेत्रों मे खनन प्रारम्भ होने से नदी की जलधारा में प्राकतिक रूप एकत्रित चैनल–बार की बालू को नियमानुसार खनन के माध्यम से हटाया जा रहा है। जिससे कि नदी के किनारों के कटान को नदी की जलधारा के बहाव से बचाया जा सके और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सके।

निरीक्षण में पाया गया कि विषयगत् क्षेत्र (मीरापुर द्वावा) में हो रहे खनन का क्षेत्र घाघरा नदी की मुख्य धारा एवं अन्य धारा (स्पिल) के मध्य स्थित है, (गूगल अर्थ मैप संलग्न)। नदी की मुख्य धारा एवं अन्य धारा के मध्य स्थित SAND BED BAR हटाने से नदी का प्रवाह क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे बाढ अवधि में नदी की धारा से होने वाली कटान पर अंकुश लगेगा।

इस प्रकार जांच में अवैध खनन एवं स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों से किसी प्रर्यावरणीय क्षति/नदी के प्रवाह में परिर्वतन सम्बन्धी शिकायत की पुष्टी नहीं हुयी है।

समिति की आख्या अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सेवा में प्रेषित हैं।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/5/19 | 21.05.19 | 21.5.19 | 21.5.19 | 21.5.19 |
| अधिशासी अभियन्ता बाढकार्य खण्ड अयोध्या। | अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अयोध्या। | खान अधिकारी अयोध्या। | क्षेत्राधिकारी अयोध्या। | उपजिलाधिकारी सदर, अयोध्या। |

Kanakpur
5/21/2019
Jafrapur
Katra Bhogchand
Macha
Keshawapur
खनन क्षेत्र (Sand Bed Bar)
Maheshpur
Manjha Kala
Ayodhya
Makha Pur
Image © 2019 CNES / Airbus
Image © 2019 DigitalGlobe
Google Earth
26°49'12.51" N 82°12'04.08" E elev 96 m eye alt 9.08 km

Kanakpur
5/21/2019
Jafrapur
Katra Bhogchand
Macha
Keshawapu
खनन क्षेत्र (Sand Bed Bar)
Maheshpur
Manjha Kala
Ayodhya
Makha Pur
Image © 2019 CNES / Airbus
Image © 2019 DigitalGlobe
Google Earth
26°49'12.51" N 82°12'04.08" E elev 96 m eye alt 9.08 km

# जांच आख्या

कृपया, जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 2658/खान अधिकारी/एन0जी0टी0/आदेश/2019/ दिनांक 11.03.2019 के कम में जनपद के ग्राम मीरापुर द्वावा व माझा बरेहटा में अवैध खनन की जांच हेतु उपजिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित जांच दल के सदस्यों के साथ दिनांक 21.05.2019 को क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम मीरापुर द्वावा में तीनों क्षेत्रों में बालू का खनन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा नियमानुसार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार (SSMDR) कराया जा रहा है। बालू के खनन से किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है और न मौके पर पायी ही गयी है एवं न ही किसी की शिकायत संज्ञान में आयी है। उक्त वर्णित तीनों बालू के खनन क्षेत्र जनपद की सरयू नदी के चैनल में जमा चैनल–बार (नदी की धारा के अन्दर प्राकतिक रूप से एकत्रित बालू का उठा हुआ जमाव क्षेत्र ) में ही दिये गये हैं, जिससे कि नदी में प्राकतिक रूप से एकत्रित बालू को हटाये जानें से नदी तट की जलधारा के बहाव में परिवर्तन कर नदी के तट को खनन से प्रभावित होनें से बचाया जा सके।

इन क्षेत्रों मे खनन प्रारम्भ होने से नदी की जलधारा में प्राकतिक रूप एकत्रित चैनल–बार की बालू को नियमानुसार खनन के माध्यम से हटाया जा रहा है। जिससे कि नदी के किनारों के कटान को नदी की जलधारा के बहाव से बचाया जा सके और बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सके।

दिनांक 21.05.2019

21/5/2019

(डा0 गौतम कुमार दिनकर)
भू–वैज्ञानिक/क्षेत्रीय अधिकारी
अयोध्या।

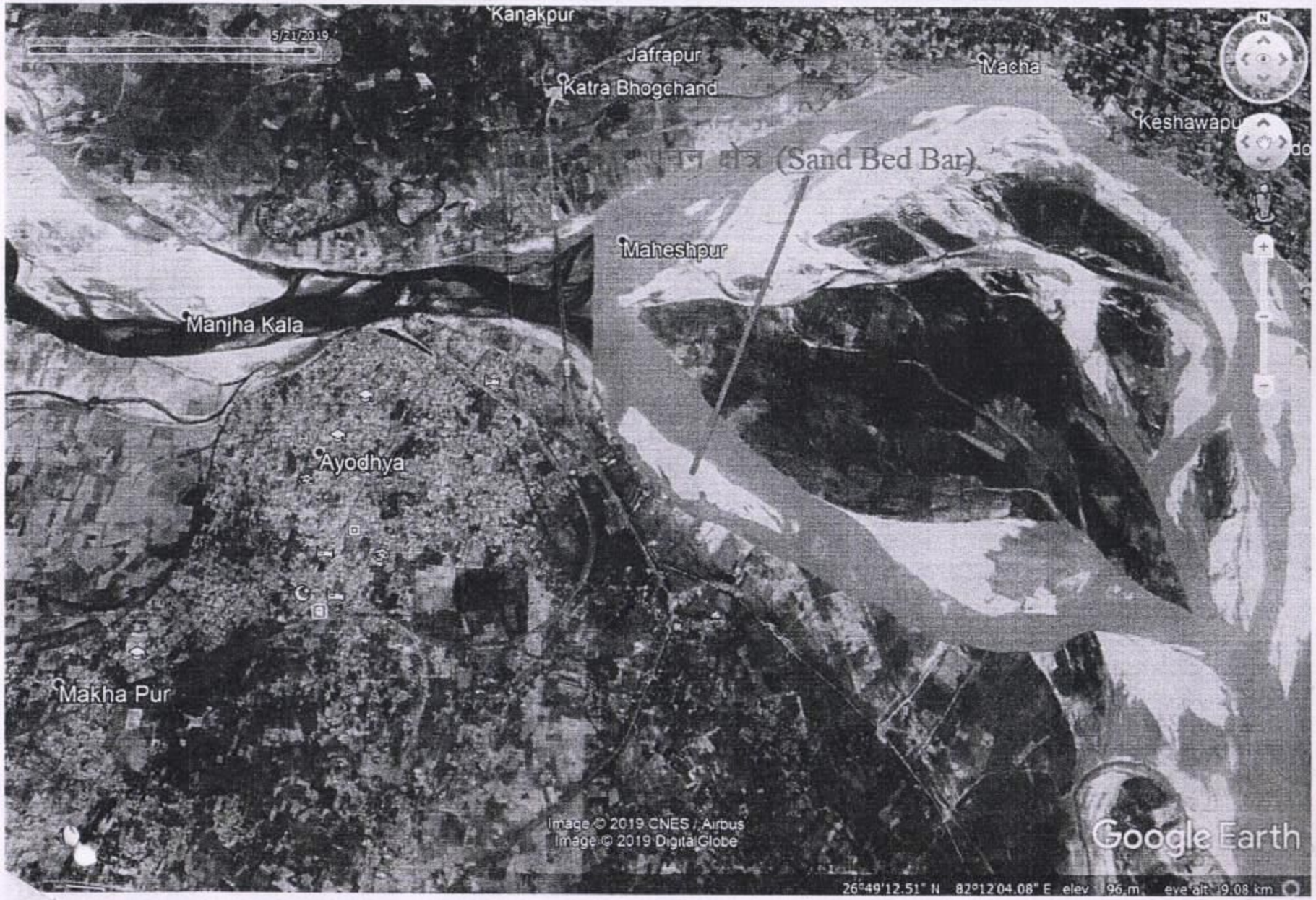
Kanakpur
5/21/2019
Jafrapur
Katra Bhogchand
Macha
Keshawapur
(Sand Bed Bar)
Maheshpur
Manjha Kala
Ayodhya
Makha Pur
Image © 2019 CNES / Airbus
Image © 2019 DigitalGlobe
Google Earth
26°49'12.51" N 82°12'04.08" E elev 96 m eye alt 9.08 km

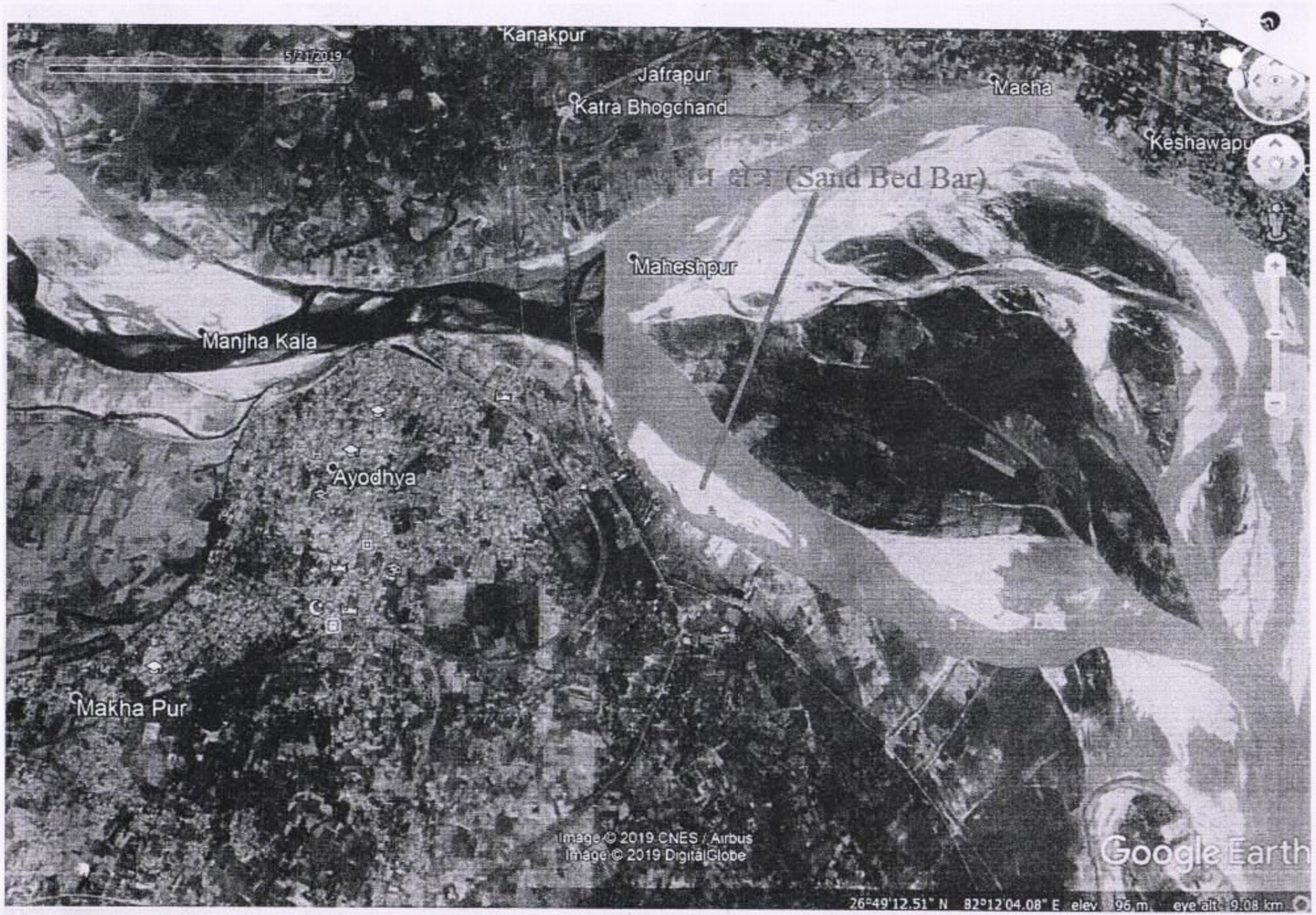
Kanakpur
Jafrapur
Katra Bhogchand
Macha
Keshawapur
(Sand Bed Bar)
Maheshpur
Manjha Kala
Ayodhya
Makha Pur
Image © 2019 CNES / Airbus
Image © 2019 DigitalGlobe
Google Earth
26°49'12.51" N 82°12'04.08" E elev 96 m eye alt 9.08 km